झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 18.01.2017 के लिए माननीय, अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अशोक कुमार स0वि0स0	गोड्डा जिला के साथ-साथ राज्य के अन्य जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा गरीबों को राशन कार्ड निर्गत किया गया है। परन्तु गोड्डा जिला के महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखंड अंतर्गत ऐसे अनेकों राशनकार्ड निर्गत किये गये है, जिस पर परिवार के एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज है, जैसे मेहरमा प्रखंड अंतर्गत 1797, ठाकुरगंगटी प्रखंड में 2538 एवं महागामा 4200 कार्डो में केवल एक ही नाम दर्ज है। जिसके कारण उन परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सैंकड़ो गरीब परिवार अभी तक राशनकार्ड से वंचित है। सरकार के दावे के अनुसार 86% परिवारों को राशनकार्ड उपलब्ध कराया गया है, परन्तु कुछ पंचायत की कुल आबादी का केवल 50% परिवारों को ही राशन कार्ड दिया गया है (जैसे- महागामा प्रखंड का कोयला पंचायत) साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैंकड़ों संपन्न, एवं नौकरी पेशा वाले परिवारों को भी राशन कार्ड दे दिया गया है, और गरीब परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से अभी तक वंचित हैं। वस्तुतः राशनकार्ड बनाने में भारी अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण सरकार की यह योजना सफलीभूत नहीं हो रहा है। यह स्थिति गोड्डा जिला के साथ-साथ कमोबेस राज्य के अन्य जिलों में भी है।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

01.	02.	03.	04.
		अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए इसकी गहण जाँच कराकर खाद्य सुरक्षा अधि0 अंतर्गत निर्गत किये गए राशनकार्ड में परिवार के छुटे हुए सदस्यों का नाम दर्ज कराकर उन्हें लाभ देने के साथ-साथ सुखी संपन्न लोगों का कार्ड कैंसिल कराकर छूटे हुए वास्तविक लाभुकों को राशनकार्ड उपलब्ध कराने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	
02-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	भूमि अधिग्रहण कानून-2013 के अनुरूप झारखण्ड सरकार ने भी उक्त कानून को अंगीकार किया है। लेकिन राज्य सरकार उक्त कानून के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है। गोड्डा जिला में अडाणी पावर प्लांट हेतु जमीन अधिग्रहण में 80% रैयतों की सहमति ग्राम सभा के माध्यम से नहीं ली गयी। तीन-फसला सिंचित भूमि का चयन पावर प्लांट के लिए किया गया। समाजिक प्रभाव का आकलन चयनित एजेंसी ने धरातल पर न जाकर कागज पर आंकड़ों के आधार पर कर दिया एवं सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन में प्रभावित परिवारों को शामिल नहीं किया गया। यह Act के प्रावधानों के विपरीत है। साथ ही देवघर जिला में पुनासी जलाशय योजना के निर्माण में Act के Clause-24 land acquisiton process under Act of 1894 Shall be deemed in cases- If physical possession of the land has not been taken of the cumpensation has not been paid का घोर उल्घंन हो रहा है उपरोक्त विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।	जल संसाधन
03-	श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0	पलामू जिला अंतर्गत छत्तरपुर थाना के नौडीहा ग्रामवासी कमलेश भुईयाँ की पत्नी रीता देवी दिनांक-12.01.2017, दिन- गुरूवार की रात खाना बनाने के दौरान जल गयी थी। जिसका ईलाज गाँव के ही झोला छाप चिकित्सक द्वारा किया जा रहा था। संभवतः उक्त चिकित्सक ने रीता देवी के पेट का ऑपरेशन किया है। रीता देवी की स्थिति अत्यंत ही गंभीर है। मैं उक्त अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से माँग करता हूँ कि रीता देवी को तत्काल अच्छे अस्पताल में ईलाज कराया जाय तथा इस बात की जाँच कराई जाय कि उसके पेट का ऑपरेशन किया गया है अथवा नहीं और दोषियों के विरूद्ध शीघ्र कारवाई की जाय।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

04–	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी एवं श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	पिछले दो से तीन वर्षो में स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमण्डल रुक्का में इंजीनियरों और ठीकेदारों की मिली–भगत में प्लांट पाईप मेंटेनेंस के कार्यो में घटिया उपकरणों का इस्तेमाल व कई अवैध कार्य कर 04 (चार) करोड़ रुपये की निकासी कर ली गई। साथ–ही उक्त कार्य में सम्बंधित इंजिनियरों ने जान– बुझकर सम्बंधित ठीकेदार को लाभ पहूँचाने के उद्देश्य से चौगुना राशि की प्राक्कलन बनाकर उक्त राशि का भुगतान कर दी इतना ही नहीं बूटी मोड़ से रामधान गैरेज तक एमएस का 12 एमएम का पाईप एवं बूटी पम्प हाऊस में भी 12 एमएम का एम एस प्लेट का पाईप लगाना था परन्तु उक्त दोनों ही कार्यो में 08 एमएम का ही पाईप लगाई गई हैं। साथ–ही साथ उक्त इंजीनियरों द्वारा उक्त कार्यो के संबंध में बनाये गये प्राक्कलन के अनुरुप कार्य न करा कर राशि की भुगतान सम्बंधित ठीकेदारों को कर दी गई। और तो और फिल्टर बेड कार्य, क्लोरिफिकेशन/ क्लोरिफायर कार्य, वितरण ऑफिस जीर्णोद्धार कार्य के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में रुक्का प्लांट के प्रशाखा संख्या– 1/1 में आउट्सोर्सिंग मजदूरों के भुगतान से सम्बंधित बिल–पत्र एवं अनुपस्थिति पंजी में कम मजदूरों की जगह अधिक मजदूरों की संख्या दर्शाकर रुपये की निकासी जैसे कई और प्रकार की वित्तीय अनियमितता किये जाने के बावजूद अबतक सम्बंधित सभी इंजीनियरों सहित ठीकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्यों नहीं उक्त सभी दोषी इंजीनियरों की चल–अचल सम्पत्ति की उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए उक्त राशि की वसूली सभी के वेतन से की जाये ? अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं।	पेय जल एवं स्वच्छता
05–	श्री कुणाल षड़ंगी श्रीमती सीता सोरेन एवं श्रीमती जोबा मांझी स0वि0स0	टाटा प्रबंधन एवं राज्य सरकार के बीच सम्पन्न लीज नवीनीकरण एकरारनामा 2005 के खण्ड–7 पृष्ठ सं0–18 में उल्लेख है कि टाटा लीज में गलती से सम्मिलित रैयती भूमि को लीज क्षेत्र से बाहर कर दिया जाऐगा। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा जारी राज्यादेश कें पत्र संख्या–5/टिस्को–02/03, 2776/रा0 राँची दिनांक– 19.08.2005 के खण्ड के I(v) में दर्ज है। एकरारनामा के 11 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी सरकार द्वारा टाटा लीज में गलती से शामिल–	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

		18 मौजा के आदिवासी-मूलवासी रैयतों की भूमि की वापसी नहीं की गई है और न ही जिला प्रशासन द्वारा वापसी के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा रैयतों की जमीन की वापसी के लिए कार्रवाई नहीं होने से रैय्यतों में काफी रोष है। अतः सदन के माध्यम से अविलम्ब सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते है।	

राँची,
दिनांक- 18 जनवरी, 2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2017-719/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/01/17

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/जल संसाधन विभाग/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/17
(मनोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2017-719/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/01/17

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

17/01/17
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभांष/-